न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 45/2018

अपीलांट्स –
1. भंवरलाल पुत्र वालाराम
2. छगनाराम पुत्र वालाराम
3. लच्छाराम पुत्र समेलाराम
4. गेबराराम पुत्र मगाराम
5. बुधाराम पुत्र मगाराम
6. जुगताराम पुत्र मगाराम
7. मथरी पत्नी मगाराम
8. डाउराम पुत्र समेलाराम
   जाति कुम्हार निवासी सणपा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. हंजाराम पुत्र मोटाराम
2. हरीराम पुत्र मोहनलाल
3. सोमाराम पुत्र मोहनलाल
4. झमू देवी पत्नी मोहनलाल
5. चम्पालाल पुत्र मोटाराम
6. मिश्राराम पुत्र मोटाराम
7. जैराम पुत्र किरता
8. समर्था पुत्र किरता
9. रामा पुत्र किरता
10. छगना पुत्र किरता
    जति कुम्हार निवासी सणपा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
11. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.12.2001 जो खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री भवानी सिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री बलराम प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1से6 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 11 प्रफॉर्मा पक्षकार।
4. शेष रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 26.07.2022

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी [illegible] कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 13.12.2001 के विरुद्ध [illegible] गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:24 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम [illegible]डाली के खेत खसरा [illegible] 90 एवं 118 रकबा क्रमशः 120–2 बीघा एवं [illegible]–12 बीघा कुल रकबा [illegible]14 बीघा के खातेदारान क्रमशः मोटा, वाला, लच्छा, डाउ, मगा पि0 समेला 1/2 हि0

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जैरामा, समर्था, रामा, छगना पि0 किरता 1/2 हि0 तथा मोटा, वाला, लच्छा, डाउ, मगा पि0 समेला 129/132 हि0 जैरामा, समर्था, रामा, छगना पि0 किरता 3/132 हि0 कौम कुम्हार सा0 सणपा ने दिनांक 13.12.2001 को उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान भू–अभिलेख निरीक्षक सिणधरी द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी डण्डाली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज है एवं भूमि पैतृक है। इस पर उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2001 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.09.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि पक्षकारान पूर्व में मौखिक रूप से किये गये बाहमी बंटवाडे के अनुसार मौके पर काबिज हैं जिस पर पक्षकारान की ढाणियां, टांके, चारा बाड़े इत्यादि बने हुए हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के पिता स्व0 मोटाराम चालाक, चतुर व बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति था जिसने हल्का पटवारी को अपने प्रभाव में लेकर मौके कर काबिज अनुसार बंटवाडा नहीं करवाकर गलत तरीके से करा दिया। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के पिता ने अपीलांट्स को विश्वास में लेकर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाडा करने का कहकर अपीलाधीन विभाजन के खाली कागजात पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवा लिये, जिसके आधार पर उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन विभाजन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त विभाजन द्वारा अपीलांट्स को उनके हिस्से से कम रकबा दिया गया है एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा उनके हिस्से से अधिक रकबा उपजाऊ व अच्छी किस्म वाली भूमि अपने नाम से इन्द्राज करवा ली गई है। मौके पर पक्षकारान विभाजन अनुसार काबिज नहीं है तथा राजस्व रेकर्ड में हिस्सानुसार रकबा भी बराबर नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट्स ने यह भी निवेदन किया कि उक्त अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पेश करते समय न तो अपीलांट्स को उप तहसीलदार के समक्ष हाजिर किया गया और न ही विभाजन प्रस्ताव मंजूर करने से पूर्व मौके की जांच की गई, मौके पर जाकर भूमि पैमाईश कर भूमि की गुणवत्ता, भौतिक स्थिति व रास्ता की उपयोगिता को ध्यान में रखा गया। अपीलाधीन विभाजन पारित करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। लिहाजा अपीलांट्स की उनके कब्जे–काश्त अनुसार भूमि का बंटवाड़ा नहीं कर गलत रूप से बंटवाड़ा किया गया हैं जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें।

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अर्सा 20–25 दिन पूर्व जब रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट्स को उनकी रहवासी ढाणी हटाने की धमकियां दी गई तथा काश्त करने से मना किया गया तब अपीलांट्स द्वारा राजस्व रेकर्ड की जानकारी ली गई। अपीलांट्स द्वारा दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर ही उन्हें सर्वप्रथम गलत विभाजन की जानकारी प्राप्त हुई। गलत बंटवाडे की जानकारी होने पर वास्तविक जानकारी की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद पेश की जा रही है। इसके बावजूद अपील पेश करने में हुई देरी हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट्स की ओर से यह अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए अपील उपर्युक्त आधारों पर अन्दर मयाद शुमार करते हुए स्वीकार फरमावें।

6. रेस्पोडेंट सं. 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा दिनांक 13.12.2021 को किया गया विभाजन आदेश और इस क्रम में पारित नामान्तरकरण संख्या 449 सही हैं। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन बंटवाडे में भूमि कम–ज्यादा होने का मुद्दा उठाया है वह गलत है क्योंकि उक्त समय सहमति से बंटवाडा करने वाले सभी जीवित खातेदारों की सहज एवं सुलभ न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा सब भाइयों को बराबर रकबा प्राप्त हो इस उद्देश्य से रेस्पोडेंट के पिता मोटाराम पुत्र समेलाराम ने अपने भाई वाला, लच्छा, नगा, डाऊ (डाया) पिता समेला के पक्ष में एक पंजीकृत हकतर्कनामा दिनांक 22.12.2001 को प्रशासन गांवों के संग में करवाया। इस हकतर्कनामा से पक्षकारान में सहमति से हुए बंटवाडा व उसमें करीब–करीब सभी भाइयों को बराबर रकबा में खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो रहा था। सभी पक्षकारान द्वारा अपने अधिकारों के प्रति सजग रह कर तथा अपने खातेदारी अधिकारों का सस्ता और सुलभ [illegible] प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रशासन गांवों के संग अभि[illegible] करवाया है तथा हकतर्कनामा भी पंजीबद्ध करवाया है। अपी[illegible] द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को अंधेरे में रखकर यह अपील प्रस्तुत की है जो खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा अपीलांट्स की यह अपील मनगढत एवं काल्पनिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है तथा मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

7. हमने अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट सं. 1 से 6 के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा डण्डाली के खेत खसरा संख्या 90 एवं 118 रकबा क्रमशः 120–2 बीघा एवं 132–12 बीघा कुल रकबा 252–14 बीघा के खातेदारान क्रमशः मोटा, वाला, लच्छा, डाउ, मगा पि0 समेला 1/2 हि0 जैरामा, समर्था, रामा, छगना पि0 किरता 1/2 हि0 तथा मोटा, वाला, लच्छा, डाउ, मगा पि0 समेला 129/132 हि0 जैरामा, समर्था, रामा, छगना पि0 किरता 3/132 हि0 कौम कुम्हार सा0 सणपा ने दिनांक 13.12.2001 को उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान भू–अभिलेख निरीक्षक सिणधरी द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी डण्डाली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज है एवं भूमि पैतृक है। इस पर उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2001 पारित किया गया। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि पक्षकारान पूर्व में मौखिक रूप से किये गये बाहमी बंटवाडे के अनुसार मौके पर काबिज हैं जिस पर पक्षकारान की ढाणियां, टांके, चारा बाड़े इत्यादि बने हुए हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के पिता ने अपीलांट्स को विश्वास में लेकर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाडा करने का कहकर अपीलाधीन विभाजन के खाली कागजात पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवा लिये, जिसके आधार पर उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन विभाजन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त विभाजन द्वारा अपीलांट्स को उनके हिस्से से कम रकबा दिया गया है एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा उनके हिस्से से अधिक रकबा उपजाऊ व अच्छी किस्म वाली भूमि अपने नाम से इन्द्राज करवा ली गई है। इसके जवाब में अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रकट किया हैं कि अपीलांट्स द्वारा जो अपीलाधीन बंटवाडे में भूमि कम–ज्यादा होने का मुद्दा उठाया है वह गलत है क्योंकि तत्समय सहमति से बंटवाडा करने वाले सभी जीवित खातेदारों की सहज एवं सुलभ न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से [illegible] भाइयों को बराबर रकबा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से रेस्प[illegible]ाराम ने अपने भाई वाला, लच्छा, नगा, डा[illegible] (डाया) [illegible] के पक्ष में एक पंजीकृत हकतर्कनामा दिनांक 22.12.2001 को प्रशास[illegible] गांवों के संग में करवाया। इस हकतर्कनामा से पक्षकारान में सहमति से हुए बंटवाडा व उसमें करीब–करीब सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

भाइयों को बराबर रकबा में खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा इस अपील में उक्त तथ्य को छिपाते हुए मात्र अपीलाधीन आदेश में ही भूमि कम ज्यादा होने का आधार लिया गया हैं तथा मयाद के सम्बन्ध में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलांट्स के द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी उल्लेखित दस्तावेजों नकले प्राप्त होने पर होना प्रकट किया हैं जबकि अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार उक्त विभाजन उपरांत अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 से 6 के पिता से जरिये हकतर्कनामा भूमि प्राप्त होना अभिलेखीय तौर पर स्थापित हैं। ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं हैं। इस प्रकार अपीलाधीन सहमति बंटवाडें के 17–18 साल बाद हस्तगत अपील पेश की गई हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया हैं। इस प्रकार हस्तगत अपील मेरिट पर दुर्बल होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने व सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Lok

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:24 IST
Reason: SelfAttested